दिनाँक 20 अक्टूबर, 2015 को सायं 6.00 बजे से सायं. 6.30 बजे तक सभा कक्ष, शक्ति भवन, लखनऊ में सम्पन्न उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 119वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः

1.	श्री संजय अग्रवाल	अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	श्री विशाल चौहान	प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन का0 लि0	निदेशक
3.	श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा	प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	प्रबन्ध निदेशक
4.	श्रीमती नीरजा कृष्णा	संयुक्त निदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	निदेशक
5.	श्री एस0के0 अग्रवाल	निदेशक(वित्त) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
6.	श्री राधे मोहन	निदेशक(का0प्र0 एवं प्र0) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
7.	श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक(वाणिज्य) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
8.	श्री कृष्ण मुरारी मित्तल	निदेशक(वितरण) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
9.	श्री रामानन्द यादव	निदेशक(कारपोरेट प्लानिंग) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	निदेशक
10.	श्री एच0के0 अग्रवाल	कार्यकारी कम्पनी सचिव उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0	संयोजक

कम्पनी सचिव ने बैठक में अवगत कराया कि श्री नील रतन कुमार, विशेष सचिव(वित्त), उ0प्र0 शासन अपरिहार्य कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो पाये हैं। निदेशक मण्डल ने इसे संज्ञान में लेते हुए श्री नील रतन कुमार को 'लीव ऑफ एबसेन्स' स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
119(01) दिनाँक 8 सितम्बर, 2015 को सम्पन्न उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की 118वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	**119(01)** निदेशक मण्डल ने प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।
119(02) दिनाँक 8 सितम्बर, 2015 को सम्पन्न उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की 118वीं बैठक में पारित निर्णयों पर अनुपालन आख्या।	**119(02)** निदेशक मण्डल ने निर्देशित किया कि लम्बित प्रकरण शीघ्र बैठक में प्रस्तुत किये जायें।
119(03) पी0एफ0सी0 एवं आर0ई0सी0 से ऋण लिये जाने के संबंध में दिनांक 26 सितम्बर, 2015 को परिचालन माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।	**119(03)** निदेशक मण्डल ने प्रश्नगत पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण करते हुए कार्यवृत्त को अधोउद्धरित करने का निर्णय लिया:– "निदेशक मण्डल द्वारा निम्न प्रस्ताव पारित किये गये:– **आर0ई0सी0** 1. संकल्पित किया गया कि आर0ई0सी0 द्वारा स्वीकृत रू0 2500.00 करोड़ का ऋण उनकी स्वीकृति की शर्तो पर आहरित कर लिया जाए । 2. पुनः संकल्पित किया गया कि ऋण की स्वीकृति की शर्तो के अनुरूप ऋण आहरण हेतु समस्त अनुबन्धों, विलेखों एवं

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय

प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने आवश्यकतानुरूप एस्क्रो खातों में वृद्धि हेतु मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) अथवा उप मुख्यलेखाधिकारी (वित्त) अथवा लेखाधिकारी निधि–प्रथम को अधिकृत किया जाता है।

3. पुनः संकल्पित किया गया कि ऋण आहरण हेतु शासन द्वारा जारी की जाने वाली शासकीय प्रत्याभूति जारी करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाए एवं शासकीय प्रत्याभूति पर निर्धारित विधीक्षण शुल्क का भुगतान किया जाय। निगम की ओर से शासन को प्रति प्रत्याभूति देने हेतु निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) को अधिकृत किया गया।
4. पुनः संकल्पित किया गया कि निष्पादित अनुबन्ध/विलेखों आदि पर नियमानुसार निगम की कामन सील लगायी जाय।

<u>पी0एफ0सी0</u>

1. संकल्पित किया गया कि पी0एफ0सी0 द्वारा स्वीकृत रू0 2500.00 करोड़ का ऋण उनकी स्वीकृति की शर्तो पर आहरित कर लिया जाए ।
2. पुनः संकल्पित किया गया कि ऋण की स्वीकृति की शर्तो के अनुरूप ऋण आहरण हेतु समस्त अनुबन्धों, विलेखों एवं प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने आवश्यकतानुरूप एस्क्रो खातों में वृद्धि हेतु मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) अथवा उप मुख्यलेखाधिकारी (वित्त) अथवा लेखाधिकारी निधि–प्रथम को अधिकृत किया जाता है।
3. पुनः संकल्पित किया गया कि ऋण आहरण हेतु शासन द्वारा जारी की जाने वाली शासकीय प्रत्याभूति जारी करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाए एवं शासकीय प्रत्याभूति पर निर्धारित विधीक्षण शुल्क का भुगतान किया जाय। निगम की ओर से शासन को प्रति प्रत्याभूति देने हेतु निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) को अधिकृत किया गया।
4. पुनः संकल्पित किया गया कि निष्पादित अनुबन्ध/विलेखों आदि पर नियमानुसार निगम की कामन सील लगायी जाय।"

119(04)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवाओं में नियुक्त एवं कार्यरत विकलाँग कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

119(04)

निदेशक मण्डल ने शासनादेश संख्या 1326/65–1–2014–380/96 दिनांक 13 नवम्बर, 2014 की अनुरूपता में कारपोरेशन के विकलाँग कर्मचारियों एवं नेत्रहीन सेवकों को निम्नानुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की पुनरीक्षित दरें आदेश निर्गमन की तिथि से अनुमन्य करने का निर्णय लिया:–

क्र. सं.	दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड–वेतन	आदेश निर्गमन की तिथि से वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की अनुमोदित संशोधित दरें (रूपये प्रतिमाह)
1.	रू0 1900/– से रू0 3000/– तक	रू0 400/– के स्थान पर रू0 600/–
2.	रू0 4200/– एवं अधिक	रू0 500/– के स्थान पर रू0 750/–

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
119(05) श्री अशोक कुमार सिंह (3728), तत्कालीन अवर अभियन्ता, सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनकी पेंशन से 5% (पांच प्रतिशत) की कटौती के दण्ड को निदेशक मण्डल के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।	119(05) निदेशक मण्डल ने कारपोरेशन आदेश संख्या 1057–शिजाँ–05ई/पाकालि/15 दिनांक 17–08–2015 द्वारा श्री अशोक कुमार सिंह (3728), तत्कालीन अवर अभियन्ता, सम्प्रति सेवानिवृत्त को प्रदत्त उनकी पेंशन से 5% (पांच प्रतिशत) की कटौती के दण्ड को संज्ञान में लिया।
119(06) श्री आश नारायण सिंह (82021), तत्कालीन सहायक अभियन्ता, विद्युत विभाग, नोयडा सम्प्रति सेवानिवृत्त (तिथि 31.07.2013) अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध सी0एस0आर0 के प्रस्तर–351 ए के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही के कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में।	119(06) निदेशक मण्डल ने श्री आश नारायण सिंह (82021), तत्कालीन सहायक अभियन्ता, विद्युत विभाग, नोयडा सम्प्रति सेवानिवृत्त (तिथि 31.07.2013) अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध सी0एस0आर0 के प्रस्तर–351 ए के अन्तर्गत की गयी नियमित अनुशासनिक कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
119(07) मेसर्स ललितपुर पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (3x660 मे0वा0) परियोजना में पी0पी0ए0 के पश्चात् पूरी की जाने वाली शर्तों में तृतीय समय बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।	119(07) निदेशक मण्डल ने मेसर्स ललितपुर पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (3×660 मे0वा0) परियोजना में पी0पी0ए0 के पश्चात पूरी की जाने वाली शर्तों में तृतीय समय बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में गहन विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये:– 1. शासन की पृच्छा के तारतम्य में अन्य एम0ओ0यू0 आधारित परियोजनाओं की तुलना में ललितपुर परियोजना की विशिष्ट स्थिति (No IDC during extended period की प्रांसगिकता न होने के कारण) के दृष्टिगत ललितपुर परियोजना को condition subsequent पूर्ण करने हेतु तृतीय समय विस्तार (अर्थात सितम्बर 2016 तक के विस्तार) की संस्तुति, उ0प्र0पा0का0लि0 एवं मेसर्स एल0पी0जी0सी0एल0 के मध्य सहमत अन्तरिम वाणिज्यिक व्यवस्था, जो प्रस्तर निम्नवत है, के शर्त के आधीन, इनर्जी टास्क फोर्स उ0प्र0 शासन को प्रेषित कर दी जाये:– **Arrangement up to obtaining of Long term coal linkage**, a) M/s LPGCL will declare tentative day ahead capacity to SLDC for its 1st uniit, SLDC, depending upon requirement of UPPCL as well as capability of evacuation system, will finalise the schedule for M/S LPGCL. The schedule given by SLDC shall be treated as declared capacity on a given day for M/s LPGCL and it will be paid fixed charges on actual implemented schedule. b) Energy charges will be paid to M/s LPGCL on its implemented schedule. c) No deemed availability benefit shall be admissible to M/S LPGCL under above arrangement. **Arrangement up to availability of 765 kV Transmission System in case materialisation of long term coal linkage happens prior to it.** a) M/s LPGCL will declare tentative day ahead capacity to SLDC for its 1st uniit, SLDC, depending upon requirement of UPPCL as

3

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
–	well as capability of evacuation system, will finalise the schedule for M/S LPGCL. The schedule given by SLDC shall be treated as declared capacity on a given day for M/s LPGCL and it will be paid fixed charges on actual implemented schedule. b) Energy charges will be paid to M/s LPGCL on its implemented schedule. c) If transmission failure of existing 220 kV evacuation system is of less than 72 hours, no deemed availability shall be paid. d) However, if existing 220 kV transmission evacuation system is not available for more than 72 hours, deemed availability, shall be given up to the level of technical minimum of machine (i.e. up to the level to which it can be backed down) for period beyond 72 hours. 2. इनर्जी टास्क फोर्स द्वारा बिन्दु 1 में उल्लिखित अन्तरिम वाणिज्यिक व्यवस्था के सिद्धांतो के अनुमोदन एवं इसके प्रतिबंधाधीन ललितपुर परियोजना को condition subsequent पूर्ण करने हेतु तृतीय समय विस्तार (अर्थात सितम्बर 2016 तक के विस्तार) के अनुमोदनोपरान्त उक्त वाणिज्यिक व्यवस्था के सहमति अनुबन्ध को हस्ताक्षरित एवं कियान्वयित कर मेसर्स एल0पी0जी0सी0एल0 की प्रथम इकाई का वाणिज्यिक परिचालन 01.10.2015 से घोषित किया जाय। उक्त वाणिज्यिक व्यवस्था लांग टर्म लिंकेज कोल एवं 765 के0वी0 पारेषण प्रणाली के आने तक प्रभावी रहेगी एवं तब तक इस परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा क्रय अनुबंध के संबंधित अधिकार एवं उत्तरदायित्व इस अनुबंध के अनुसार प्रभावी रहेंगें। 3. दीर्घकालीन कोल लिकेंज के अभाव में प्रेशिडेन्शियल डाइरेक्टिव के अन्तर्गत प्राप्त कोल द्वारा उत्पादित होने वाली विद्युत को विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ की अनुमति के आधार पर ही लिया जाएगा। अतः माननीय विद्युत नियामक आयोग की अनुमति के प्रतिबंधाधीन ललितपुर परियोजना द्वारा प्रेशिडेन्शियल डाइरेक्टिव के अन्तर्गत प्राप्त कोल से उत्पन्न विद्युत को उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा कय करने की संस्तुति इनर्जी टास्क फोर्स के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित की जाए।
119(08) लेखा संवर्ग हेतु श्रेणीवार नवसृजित पदों के सम्बन्ध में।	**119(08)** निदेशक मण्डल ने लेखा संवर्ग हेतु श्रेणीवार नवसृजित पदों के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों को संज्ञान में लिया:– 1. उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 1745/24–पी–2–15–सा0(113)/15 दिनांक 07–10–2015 द्वारा लेखा संवर्ग के कुल 494 श्रेणीवार नये पदों का सृजन। 2. उक्त स्वीकृति के पश्चात् प्रस्तुत प्रस्ताव की तालिका–02 के अनुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, चारों डिस्काम व केस्को एवं उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में लेखा संवर्ग के कुल स्वीकृत पदों का श्रेणीवार विवरण।

CHAIRMAN'S INITIAL

विषय	निदेशक मण्डल का निर्णय
119(09) महाप्रबन्धक(लेखा एवं सम्प्रेक्षा) से मुख्य महाप्रबन्धक(लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उप महाप्रबन्धक(लेखा) से महाप्रबन्धक(लेखा एवं सम्प्रेक्षा), अधीक्षण अभियन्ता(जानपद) से मुख्य अभियन्ता स्तर–02(जानपद) तथा उप महाप्रबन्धक(औ0सं0) से महाप्रबन्धक(औ0सं0) के पदों पर चयन हेतु दिनांक 15–09–2015 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में की गयी संस्तुतियों के कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में।	**119(09)** निदेशक मण्डल ने दिनांक 15–09–2015 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में महाप्रबन्धक(लेखा एवं सम्प्रेक्षा) से मुख्य महाप्रबन्धक(लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उप महाप्रबन्धक(लेखा) से महाप्रबन्धक(लेखा एवं सम्प्रेक्षा), अधीक्षण अभियन्ता(जानपद) से मुख्य अभियन्ता स्तर–02(जानपद) तथा उप महाप्रबन्धक(औ0सं0) से महाप्रबन्धक(औ0सं0) के पदों पर चयन हेतु की गई संस्तुतियों का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
119(10) वित्तीय वर्ष 2015–16 (जुलाई 2015 से जून 2016 तक) के लिये फ्यूल एवं पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेन्ट की गणना तथा चारों वितरण निगमों की वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु ए0आर0आर0 एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 के ट्रू–अप बनाए जाने हेतु वाह्य संस्था की सेवाऐं पूर्व निर्धारित मूल्यों पर अनुबन्धित किए जाने के सम्बन्ध में।	**119(10)** निदेशक मण्डल ने फ्यूल एवं पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेन्ट की गणना हेतु मै0 परसेप्ट 360^0 कन्सल्टिंग लि0 की सेवाऐं रू0 2.25 लाख प्रति त्रैमासिक की दर से (कुल मूल्य रू0 9.00 लाख, कर रहित) तथा चारों वितरण निगमों की वित्तीय वर्ष 2016–17 की ए0आर0आर0 एवं टैरिफ प्रस्ताव तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 की ट्रू–अप याचिकायें मै0 परसेप्ट 360^0 कन्सल्टिंग लि0 के माध्यम से बनाये जाने हेतु रू0 15.40 लाख का मै0 परसेप्ट 360^0 कन्सल्टिंग लि0 के पक्ष में कार्यादेश जारी करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

8

दिनाँकः 02-11-2015
लखनऊ।

(संजय अग्रवाल)
अध्यक्ष

CHAIRMAN'S INITIAL